HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 1695/2021

Union Of India, Through The General Manager, North Western Railway, Jaipur (Rajasthan)

----Appellant

Versus

1. Smt. Kalawati W/o Late Shri Leeluram, Resident Of Village Parta, Post Parta, Tehsil Tohana, District Fatehabad (Haryana)
2. Vir Singh S/o Late Shri Leeluram, Resident Of Village Parta, Post Parta, Tehsil Tohana, District Fatehabad (Haryana)
3. Master Vakil Singh S/o Late Shri Leeluram, Resident Of Village Parta, Post Parta, Tehsil Tohana, District Fatehabad (Haryana)

----Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Gaurav Jain, Adv. with Mr. Shrikant, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Ajay Shukla, Adv. Mr. Raghav Sharma, Adv. Mr. Shivam Sharma, Adv. Ms. Jyoti Sharma, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE UMA SHANKER VYAS

Judgment / Order

23/02/2026

अपीलार्थी/विपक्षी भारत संघ (आगे ''विपक्षी'' कहा जायेगा) की ओर से यह अपील विद्वान रेलवे दावा अधिकरण, जयपुर बेंच द्वारा प्रकरण संख्या–OA-II-22/2015 में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 से व्यथित होकर प्रस्तुत की, जिसके माध्यम से मृतक लीलूराम के परिजनों को कुल 8,00,000/–रूपये प्रतिकर 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाये जाने का आदेश दिया गया है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी भारत संघ का यह तर्क है कि मृतक घटना के समय चलती ट्रेन के खाली कोच में चढ़ने का प्रयास कर रहा था, उसकी स्वयं की गलती से यह दुर्घटना हुई है, अतः ऐसी स्थिति में वह कोई प्रतिकर राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किये जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी/दावेदारों का निवेदन है कि विचारण न्यायालय में क्लेम याचिका रेलवे दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 16 के तहत प्रस्तुत की गई है तथा ऐसे मामलों में मृतक/आहत का सद्भाविक रेल यात्री होना व अप्रिय अथवा अनपेक्षित घटना होना ही पर्याप्त है, मृतक अथवा आहत की लापरवाही का बिंदु असंगत है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक निर्णय Union of India Vs. Prabhakaran Vijaya Kumar & Ors. 2008 (9) SCC 527 प्रस्तुत किया, जिसका ससम्मान अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में दावेदारों की साक्ष्य तथा स्वयं रेल मण्डल प्रबंधक की रिपोर्ट के अनुसार मृतक तत्समय सद्भाविक रेल यात्री था, लेकिन भारत संघ का यह बचाव है कि चलती ट्रेन में मृतक द्वारा चढ़ने के प्रयास के दौरान यह दुर्घटना हुई है लेकिने ऐसे मामलों में भी न्यायिक Union of India Vs. Prabhakaran Vijaya Kumar & Ors. (पूर्वोक्त) में प्रतिपादित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रतिकर दावेदार प्राप्त करने के अधिकारी है, ऐसी स्थिति में विद्वान विचारण अधिकरण द्वारा पारित निर्णय पूर्णतः तथ्यों व विधि के अनुरूप है, अतः यह निर्णय पुष्ट होने तथा अपील खारिज होने योग्य है।

परिणामतः अपीलार्थी भारत संघ की ओर से प्रस्तुत यह अपील खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 26.07.2021 की पुष्टि की जाती है। स्थगन आवेदन व अन्य आवेदन, यदि कोई लंबित हों, तो वे भी उक्तानुसार निस्तारित किये जाते हैं।

(UMA SHANKER VYAS),J

DINESH KUMAWAT /33